

भारतीय सर्वेक्षण विभाग / Survey of India  
निदेशक का कार्यालय / Office of the Director  
दक्षिणी मुद्रण वर्ग / Southern Printing Group  
उप्पल, हैदराबाद / Uppal, Hyderabad-500 039(AP).

दक्षिणी मुद्रण वर्ग नेमी आदेश सं. सी-<sup>05</sup> / 37-जी-9 / द.मु.व., दिनांक 06-04-2016.  
SOUTHERN PRINTING GROUP ROUTINE ORDER No.C- /37-G-9/SPG DT. -04-2016.

I. संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोग्रेशन (एम० ए०सी०पी०) योजना का कार्यान्वयन :  
**MODIFIED ASSURED CAREER PROGRESSION – IMPLEMENTATION OF :**

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० ए-11019/1/2008-सी०डी०एन० दिनांक 08-06-2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० 35034/3/2008-स्था०(डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग में ग्रुप 'सी' स्थापना में डिविजन-II एवं डिविजन-I [ डिविजन-II से पदोन्नत ) निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख, पे बैंड और ग्रेड पे में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारी के लिए एम०ए०सी०पी० योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है।

In pursuance of the instructions contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 35034/3/2008-Estt.(D) dt.19-05-2009, received under DST's No.A-11019/1/2008-CDN dated 08-06-2009, the under-mentioned Group 'C' person Division II and Division I [Promoted from Division II] are granted Second Financial Upgradation under the Modified Assured Career Progression(MACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) in the undermentioned Pay Band and Grade Pay and with effect from the date as indicated below.

क्र.सं/ Sl. No.	नाम व पदनाम/Name & Designation  S/Shri	वेतनमान एवं ग्रेड पे/ Scale of Pay & Grade Pay	एम०ए०सी०पी० संस्वीकृत की तिथि /Date of MACP granted	द्वितीय एम०ए०सी०पी० Second MACP Remarks
1.	Macha Venkata Ramana, L.M.P. Gde.II	PB-2 9300- 34,800+4600	01-01-2016	2nd MACP
( Authority : SG's Lr.No.C-1051/1902-MACP(SPG) dt.11-02-2016)				

Contd..2/P

- i) एम0ए0सी0पी योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर उपरोक्त कर्मचारी को नए पे बैंड में वेतन निर्धारित करने के लिए एफ.आर.22 (I)(क)(1) के अंतर्गत विकल्प देना होगा।  
He is required to exercise an option under Rule FR 22(I)(a)(1) for fixation of his Pay in the new Pay Band.
- ii) संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोग्रेशन के अंतर्गत दी जानेवाली वित्तीय लाभ अंतिम माना जाएगा और नियमित पदोन्नति के समय उच्चतर पद में प्रकार्यात्मक पद के आगे कोई भी वेतन नियतन लाभ प्रोदभूत नहीं होगा।  
The financial benefit allowed under the MACP Scheme shall be final and no pay fixation benefit shall accrue at the time of regular promotion against a functional post in the higher grade.
- iii) नए वेतनमान में इनका वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालय मुख्य द्वारा किया जाएगा।  
His pay will be fixed by the Head of Office in the pay band.
- iv) इस संबंध में होने वाला खर्च दक्षिणी मुद्रण वर्ग के वर्ष 2016-17 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा और समुचित लेखा शीर्ष में नाम डाला जाएगा।  
The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of Southern Printing Group for the year 2016-17 and debited to the appropriate head of account.

II. संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोग्रेशन (एम0 ए0सी0पी0) योजना का कार्यान्वयन :  
MODIFIED ASSURED CAREER PROGRESSION - IMPLEMENTATION OF :

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० ए-11019/1/2008-सी0डी0एल0 दिनांक 08-06-2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० 35034/3/2008-स्था0(डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग में ग्रुप 'सी' स्थापना में आशुलिपिक ग्रेड-III को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख, पे बैंड और ग्रेड पे में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम0ए0सी0पी0 योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है।

In pursuance of the instructions contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 35034/3/2008-Estt.(D) dt.19-05-2009, received under DST's No.A-11019/1/2008-CDN dated 08-06-2009, the under-mentioned Group 'C' person Stenographer Gde.III is granted Second Financial Upgradation under the Modified Assured Career Progression(MACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) in the undermentioned Pay Band and Grade Pay and with effect from the date as indicated below.

क्र.सं/ Sl. No.	नाम व पदनाम/Name & Designation  S/Shri	पे बैंड एवं ग्रेड पे/ Pay Band & Grade Pay	एम०ए०सी०पी० संस्वीकृत की तिथि /Date of MACP granted	द्वितीय एम०ए०सी०पी० Second MACP
1.	Chivukula Prabhakar, Stenographer Gde.III	9,300-34,800+4600	22-04-2016	2nd MACP
(प्रधिकार / Authority : SG's Lr.No.C-1568/1902-MACP(Steno) dt.11-03-2016)				

- i) एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत द्वितीय उन्नयन की स्वीकृति पर उपरोक्त कर्मचारी को नए पे बैंड में वेतन निर्धारित करने के लिए एफ.आर.22 (I)(क)(1) के अंतर्गत विकल्प देना होगा।  
He is required to exercise an option under Rule FR 22(I)(a)(1) for fixation of his Pay in the new Pay Band.
- ii) संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोग्राम के अंतर्गत दी जानेवाली वित्तीय लाभ अंतिम माना जाएगा और नियमित पदोन्नति के समय उच्चतर पद में प्रवर्त्यात्मक पद के आगे कोई भी वेतन नियतन लाभ प्रोदभूत नहीं होगा।  
The financial benefit allowed under the MACP Scheme shall be final and no pay fixation benefit shall accrue at the time of regular promotion against a functional post in the higher grade.
- iii) नए वेतनमान में इनका वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालय मुख्य द्वारा किया जाएगा।  
His pay will be fixed by the Head of Office in the pay band.
- iv) इस संबंध में होने वाला खर्च दक्षिणी मुद्रण वर्ग के वर्ष 2016-17 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा और समुचित लेखा शीर्ष में नाम डाला जाएगा।  
The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of Southern Printing Group for the year 2016-17 and debited to the appropriate head of account.

### III. स्थाई स्थापना में स्थानान्तरण :- Transfer to Permanent Establishment:

निम्नलिखित अस्थायी ग्रुप 'सी' (पूर्व ग्रुप 'डी') स्थापना के कर्मचारी को उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तिथि से स्थाई स्थापना में स्थानान्तरित किया जाता है। उक्त कर्मचारी को नियुक्ति के समय पर सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा चिकित्साकीय रूप से उपयुक्त घोषित किया गया था।

The following Temporary Group 'C' (Erstwhile Group 'D') Establishment of this office is hereby transferred to Permanent Establishment with effect from the date shown against his name. The individual has been medically examined and declared fit by the concerned medical authority on his initial appointment.

Contd..4/P

क्र.सं/ Sl.No.	नाम व पदनाम/Name & Designation	स्थायीकरण की तिथि Date of Permanency
01	SHRI B. HARI MOHANA RAO, KHALASI	01-01-2016

( Authority : DSPG's Office Order No.C-03 /37-G-10/SPG dt..29-03-2016)

**IV. निरंतर रखने कि स्वीकृति प्रदान / EXTENSION OF CONTINUOUS EMPLOYMENT:**

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० 23-28/69-सर्वे । दिनांक 10-05-1973 (महा सर्वेक्षक के पृष्ठांकन सं० आर 18247/1442 दिनांक 21-05-1973 के अंतर्गत प्राप्त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में दक्षिणी मुद्रण वर्ग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, के ग्रुप सी स्थापना में निम्नलिखित अस्थाई पदों को दिनांक 01-03-2016 से 28-02-2017 तक निरंतर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

In terms of the powers delegated vide the Department of Science and Technology's Letter No.23-28/69-Sur.I dt. 10-05-1973 (received under S.G.'s endorsement No.R-18247/1442 dt.21-05-1973) Sanction is hereby accorded to the continuance of the following temporary posts in the Group 'C' Establishment of Southern Printing Group, Survey of India, for a further period of one year with effect from 01-03-2016 to 28-02-2017.

**ग्रुप 'सी' लिपिक वर्गीय कर्मचारियों / GROUP 'C' MINISTERIAL STAFF**

- |     |                      |       |
|-----|----------------------|-------|
| 01. | UPPER DIVISION CKERK | ...01 |
| 02. | LOWER DIVISION CLERK | ...01 |

दक्षिणी मुद्रण वर्ग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, के ग्रुप सी स्थापना अस्थाई पदों को दिनांक 01-03-2016 से 28-02-2017 तक निरंतर रखने की संबंधी कर्मचारियों के नाम नीचे दिए हैं ।

The extension of employment of the personnel of Southern Printing Group against the Temporary post(s) mentioned in Para 1 above for a period of one year from 01-03-2016 to 28-02-2017 is furnished hereunder.

ग्रुप 'सी' लिपिक वर्गीय कर्मचारियों / GROUP 'C' MINISTERIAL STAFF

01.	Shri LAKKU VINAYAKA, UPPER DIVISION CKERK	...01
02.	Shri SYED BABU SHAIK, LOWER DIVISION CLERK	...01

इस संबंध में होने वाला खर्च दक्षिणी मुद्रण वर्ग के वर्ष 2016-2017 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा और समुचित लेखा शीर्ष में नाम डाला जाएगा ।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of Southern Printing Group for the year 2016-17 and debited to the appropriate head of account.

V. स्थानांतरण और तैनाती / TRANSFER AND POSTING:-

Sl. No.	Name & Designation	Transferred		With effect from the date	Authority
		From	To		
01.	Shri T. Sanjeev Kumar, Director	SPG, Hyd.	IIS&M, Hyd.	22.03.2016 (A/N)	भारत के महासर्वेक्षक का पत्रांक सी - 1467/701-निदेशक दि. 08.03.2016

VI. सेवानिवृत्तियाँ / RETIREMENTS:-

Sl. No.	Name & Designation S/Shri	With effect from the date	Remarks
1.	Shri A. Sai Baba, Senior Reprographer	31-03-2016	On Superannuation
2.	Shri D. Peddaiah, TL (SS)	31-03-2016	On Superannuation

(दि. संजीव कुमार / T. SANJEEV KUMAR)

निदेशक/DIRECTOR

दक्षिणी मुद्रण वर्ग / SOUTHERN PRINTING GROUP

वितरण / DISTRIBUTION:-

01. The Surveyor General of India, Survey of India, Dehra Dun for information. ... 02 copies.
02. Addl.SG : Printing Zone / IIS&M .
03. Directors/ Incharges :APGDC/ GIS&RS / M&G GDC(Hyd Wing)/ WPG / NPG/ ~~NSP~~
04. The Regional Pay & Accounts Officer, Survey of India, Hyderabad .
05. E&AO, SPG ... 03 copies.
06. Guard File/14-C-1/Conf./4-F, SGO. Adm. Secy @ 80V-17